

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON

AL



वाट (मथुरा)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 891858

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ट्रस्ट प्रलेख

मैं कि गौरव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री श्रीचन्द अग्रवाल निवासी उसरह रोड, जट्टारी जिला अलीगढ़ अपने प्रारम्भिक जीवन से ही समाज व मानव सेवा के लिये प्रेरित हूँ इस दृष्टि से मैंने मानवमात्र की भलाई के लिये निष्काम भाव से कार्य करने के ध्येय से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक ट्रस्ट श्रीचन्द छेदी लाल अग्रवाल एज्युकेशनल ट्रस्ट का सृजन एवं गठन करने का निश्चय किया है। तदर्थानुसार एतद् द्वारा श्रीचन्द छेदी लाल अग्रवाल एज्युकेशनल ट्रस्ट का सृजन व गठन करता हूँ। जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :-

1. ट्रस्ट का नाम : श्रीचन्द छेदी लाल अग्रवाल एज्युकेशनल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का कार्यालय : प्रधान कार्यालय - उसरह रोड, जट्टारी अलीगढ़ ।

प्रशासनिक कार्यालय - नौहड़ील, मथुरा ।

ट्रस्ट का कार्यालय अन्य स्थानों पर भी स्थानान्तरित हो सकता है जैसा कि ट्रस्ट बोर्ड समयानुसार तय करेगा ।

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 891859

3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष ।
4. ट्रस्ट के लक्ष्य एवं उद्देश्य
 1. शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उसका विधिवत् संचालन कर छात्र-छात्राओं को सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, बौद्धिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।
 2. शिक्षा प्रसारार्थ शिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, प्रयोगशालाओं, शोधशालाओं और अन्य इस प्रकार के संस्थानों की स्थापना करना और संचालन करना ।
 3. देश में बालक, बालिकाओं, युवक-युवतियों में संगीत, खेल-कूद व अन्य अविष्कार प्रतिभाओं को उभारने के लिये विभिन्न संस्थान व शोध संस्थान, खेलकूद भवन व व्यायामशाला स्थापित करना ।
 4. महिलाओं के समग्र उत्थान हेतु स्त्री शिक्षा के लिये कार्य करना ।

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 891860

5. शिक्षा, विज्ञान, साहित्य की उन्नति करना, स्कूल कॉलेज, कम्प्यूटर शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडीकल कालेज, डेंटल कालेज, नर्सिंग कालेज, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र इत्यादि खोलना, चलाना और उन्हें सुव्यवस्थित रखना ।

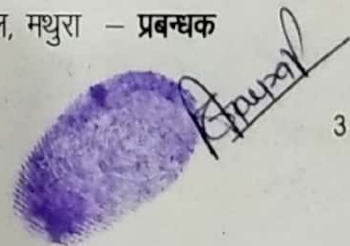
5. ट्रस्ट की सम्पत्ति :-

इस ट्रस्ट का संस्थापक अपने निजी कोष से 5,000/- रु० का सहयोग करता है वर्णित राशि इस ट्रस्ट के सृजन होने के तुरन्त उपरान्त ट्रस्ट के खाते में ट्रस्ट के संचालनार्थ जमा हो जावेगी । इसके उपरान्त जो भी नगद धनराशि या अन्य चल या अचल सम्पत्ति या सामान आदि उक्त ट्रस्ट को प्राप्त होगा उस सब का एकमात्र मालिक उक्त ट्रस्ट होगा ।

6. ट्रस्ट की ट्रस्टीगण :-

ट्रस्ट में मेरे सहित अधिकतम बारह ट्रस्टी रह सकेंगे । वर्तमान में मैं स्वयं सहित उपरोक्त ट्रस्ट में निम्न ट्रस्टी नियुक्त किये जाते हैं, ये ट्रस्टी ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी रहेंगे । प्रारम्भ में ट्रस्ट के पदाधिकारी निम्न प्रकार रहेंगे :-

1. गौरव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री श्रीचन्द अग्रवाल नि० उसरह रोड, जटटारी अलीगढ़ - अध्यक्ष
2. सुधीर कुमार अग्रवाल पुत्र श्री छेदीलाल अग्रवाल नि० नौहड़ील, मथुरा - प्रबन्धक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 891861

3. श्रीमती बीना अग्रवाल पत्नी श्री राजीव कुमार नि० उसरह रोड, जटटारी अलीगढ़ - उपाध्यक्ष
4. श्रीमती पायल अग्रवाल पत्नी श्री सुनील कुमार अग्रवाल नि० नौहड़ील, मथुरा - कोषाध्यक्ष
5. श्रीमती नविता अग्रवाल पत्नी श्री सचिन कुमार अग्रवाल नि० उसरह रोड, जटटारी अलीगढ़ - सदस्य
6. नरेश जिन्दल पुत्र श्री धनीराम अग्रवाल नि० 1571, सेक्टर 28 लिंक रोड, फरीदाबाद - सदस्य
7. सुनील कुमार मितल पुत्र श्री बालकिशन दास नि० 316, मण्डी दानगंज, खुर्जा (बुलन्दशहर) - सदस्य
8. मनोज कुमार गोयल पुत्र श्री द्वारिकाप्रसाद गोयल नि० मोंटराजा, मोंट, मथुरा - सदस्य
9. हरीओमदास अग्रवाल पुत्र श्री बाबूलाल जी अग्रवाल नि० मैन मार्केट, जटटारी, अलीगढ़ - सदस्य
10. छेदीलाल अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायन अग्रवाल नि० नौहड़ील मथुरा - सदस्य
11. अंकित अग्रवाल पुत्र श्री प्रदीप अग्रवाल नि० सराय नवाब, कोयले वाली गली, अलीगढ़ - सदस्य

[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 763332

12. मनीष अग्रवाल पुत्र श्री विनोद कुमार अग्रवाल नि0 173/70, चामुण्डा कालौनी, जयसिंहपुरा,
मथुरा - सदस्य

7. ट्रस्ट के पदाधिकारी :-

अ. अध्यक्ष :- वर्तमान में ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी गौरव कुमार अग्रवाल पुत्र श्री श्रीचन्द अग्रवाल ट्रस्ट के अध्यक्ष रहेंगे । अध्यक्ष का कार्यकाल पाँच वर्ष रहेंगा । किसी भी प्रकार अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर ट्रस्ट की बैठक में आम सहमति से या बहुमत के आधार पर नये अध्यक्ष का मनोनयन होगा ।

ब. प्रबन्धक :- वर्तमान में ट्रस्ट के ट्रस्टी सुधीर कुमार अग्रवाल पुत्र श्री छेदीलाल अग्रवाल ट्रस्ट के प्रबन्धक रहेंगे । प्रबन्धक का कार्यकाल पाँच वर्ष रहेंगा । किसी भी प्रकार प्रबन्धक का पद रिक्त होने पर ट्रस्ट की बैठक में आम सहमति से या बहुमत के आधार पर नये प्रबन्धक का मनोनयन होगा ।

स. उपाध्यक्ष :- ट्रस्टीयो में से पाँच साल की अवधि के लिये ट्रस्ट की बैठक में आम सहमति अथवा बहुमत के आधार पर उपाध्यक्ष का चयन होगा ।

द. कोषाध्यक्ष :- ट्रस्टीयो में से पाँच साल की अवधि के लिये ट्रस्ट की बैठक में आम सहमति अथवा बहुमत के आधार पर कोषाध्यक्ष का चयन होगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 763333

8. ट्रस्टीगण की नियुक्ति :-

ट्रस्ट के गठन के समय सभी ट्रस्टी जो मनोनीत किये जा रहे हैं वे सभी इस ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टी रहेंगे । उपरोक्त ट्रस्टीगणों में से किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने, निष्कासन हो जाने, त्यागपत्र देने या अन्य किसी प्रकार से अक्षम या अयोग्य हो जाने पर रिक्त स्थान की पूर्ति ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर होगी । ट्रस्ट के समस्त नियम व विधान सभी ट्रस्टियों को हर स्थिति में मान्य होंगे ।

9. ट्रस्टीगण का निष्कासन:-

उक्त ट्रस्ट के किसी भी ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हित विरुद्ध कार्य करने पर उसे ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति के आधार पर निष्कासित कर पृथक कर दिया जायेगा ।

10. अध्यक्ष के अधिकार :-

- अ. ट्रस्ट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- ब. ट्रस्ट की कार्यवाहियों के लिये प्रबन्धक को निर्देशित करना ।
- स. विषम परिस्थितियों में निर्णायक मत देना ।
- द. ट्रस्ट के खातों का प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से संचालन करना ।

[Signature]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 763334

11. उपाध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष वह सभी कार्य करेंगा जो अध्यक्ष द्वारा निर्वाहित होंगे ।

12. प्रबन्धक के अधिकार :-

अ. ट्रस्ट द्वारा लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन करना व कराना ।

ब. ट्रस्ट के आय व्यय का हिसाब रखना अथवा अपने निर्देशन में हिसाब रखने की व्यवस्था करना ।

स. समस्त विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से प्रतिनिधित्व करना ।

द. ट्रस्ट की ओर से किये जाने वाले समस्त अनुबन्धों, संविदाओं व ठहरावों को प्रबन्धक ट्रस्टी अथवा उसके द्वारा नियुक्त मुख्तार कराने का एकमात्र अधिकार होगा ।

ड. ट्रस्ट की ओर से निष्पादित होने वाले समस्त प्रलेखों को प्रबन्धक ट्रस्टी ही करने का अधिकारी होगा ।

13. कोषाध्यक्ष के अधिकार :-

ट्रस्ट के समस्त कोष का हिसाब किताब रखना ।

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 763335

14. ट्रस्ट की बैठक व गणपूर्ति :-

प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के सभी साधारण सदस्यों की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी। जिसकी सूचना एक सप्ताह पूर्व सभी सदस्यों को भेजी जायेगी। तीन चौथाई सदस्यों की उपस्थिति पर गणपूर्ति मानी जायेगी। स्थगित बैठक में कोरम का नियम पूर्व निर्धारित ही रहेगा। विशेष बैठक विशेष परिस्थितियों में केवल 24 घण्टों के लिखित नोटिस पर बुलाई जा सकेगी। विशेष बैठक के लिये लिखित नोटिस के स्थान पर दूरभाष की सुविधा का भी प्रयोग किया जायेगा जो कि लिखित नोटिस के बराबर मान्य होगा।

15. बैंक खातों का खोला जाना व परिचालन :-

अ. ट्रस्ट का खाता ट्रस्ट के सृजन के उपरान्त किसी भी बैंक में खोला जायेगा ट्रस्ट के खाते का संचालन अध्यक्ष व प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। आवश्यकता होने पर ट्रस्ट के एक से अधिक खाते अलग अलग बैंकों में खोले जा सकेंगे।

ब. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्थान के लिये ट्रस्ट द्वारा मनोनीत व्यक्ति द्वारा भी खाता या खाते खोले जा सकेंगे।



Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 763316

16. ट्रस्ट के नियम – उपनियम बनाने एवं उनमें संशोधन करने का अधिकार :-

ट्रस्ट के किसी नियम में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन करना होगा तो वह बैठक में 3/4 बहुमत से होगा ।

17. ट्रस्ट के आय – व्यय का हिसाब व अंकेक्षण :-

उक्त ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च रहेगा जिसके आय-व्यय का ब्योरा वार हिसाब रखा जायेगा व इसका प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण किसी भी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

18. ट्रस्ट के अभिलेख :-

केश बुक, लेजर, कार्यवाही-रजिस्टर, सदस्यता सूची, सूचना-रजिस्टर आदि ट्रस्ट के अभिलेख होंगे जो ट्रस्ट के कार्यालय में रखे जायेगे ।

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 763317

19. ट्रस्ट का विघटन व विघटित सम्पत्ति का निस्तारण :-

ट्रस्ट अपनी विशेष बैठक में निर्णय ले सकेगा कि ट्रस्ट का विघटन किया जावे और विघटित सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली किसी अन्य ट्रस्ट अथवा संस्था को दे दी जायेगी । कोई भी ट्रस्टी उक्त सम्पत्ति या उसका कोई भी भाग अपने निजी प्रयोग में नहीं ले सकेगा ।

अतः यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 को मैंने वराजी खुशी बिना किसी दबाव के पूर्ण होश-हवाश में लेखबद्ध कर दी है ताकि प्रमाण रहे ।

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

K 763091

प्रारूपकर्ता व फोटो प्रमाणकर्ता :- सचिन कुमार बंसल एडवोकेट

साक्षीगण :-

1. सचिन कुमार बंसल एडवोकेट, मॉट ।
2. हरेकृष्ण गोयल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी मॉटराजा, मॉट, मथुरा ।

